न्यास की शैक्षणिक योजना ग्राम नया नोहरा एवं हनुमंत खेडा ख.नं. 91, 122, 123, 124 में भूखण्ड संख्या 3 प्राप्त करने का

सुनहरा अवसर

नीलामी दिनांक	बोली का समय	स्थान	प्रारम्भिक बोली दर	क्षेत्रफल (लगभग)
29–02–2016	03 से 04 बजे तक	न्यास नीलामी हॉल	6500/–प्रति वर्ग मीटर	(Area 8100.00 व.मी.)

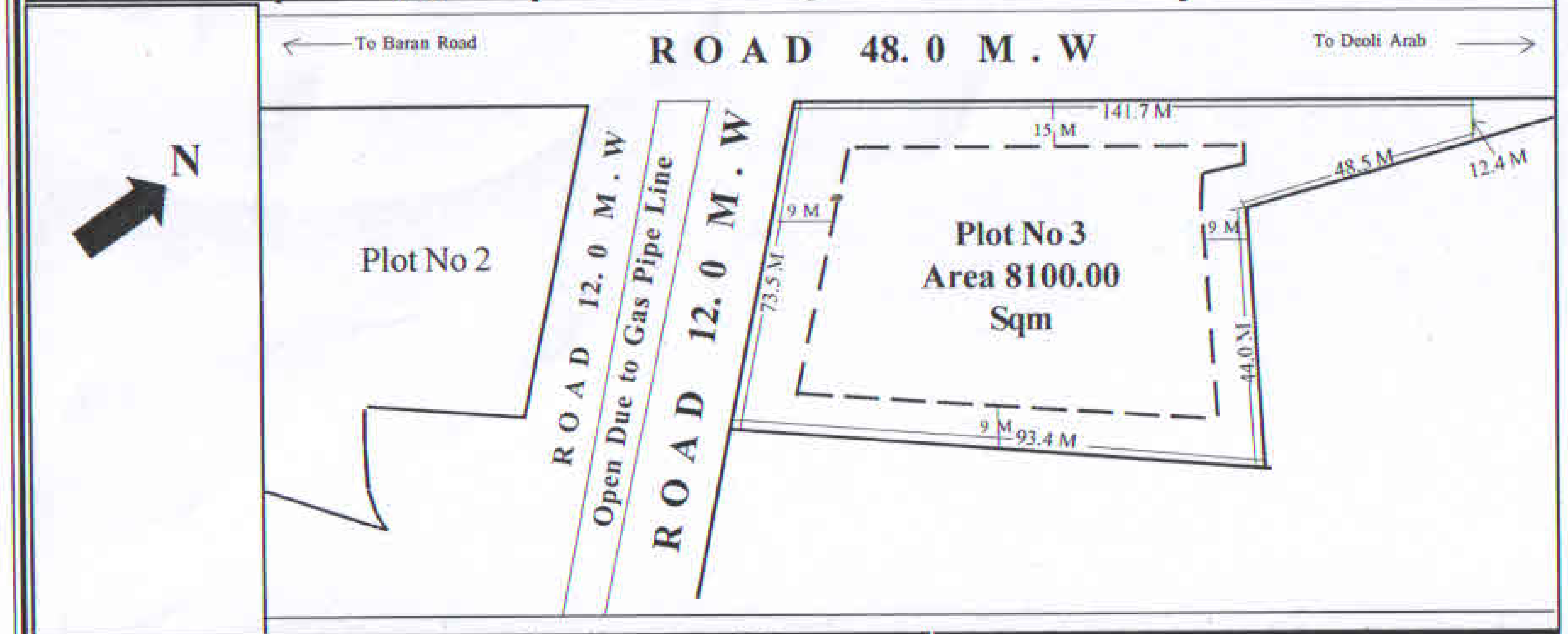

नीलामी की मुख्य शर्तें :–

(1) बोलीदाता स्वयं उपस्थित होगा। अमानत राशि रू. 15.00 लाख डी.डी./पे आर्डर सचिव नगर विकास न्यास, कोटा के नाम दिनॉक 29–02–2016 दोपहर 02:00 बजे से 03:00 बजे तक जमा होगी। बोली का समय आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा सकेगा। **प्रत्येक बोलीदाता को नीलामी बोली मे भाग लेने हेतु निर्धारित नीलामी प्रपत्र मय फोटो बोलीदाता का पेनकार्ड की प्रति एवं परिचय पत्र स्वयं के हस्ताक्षर से प्रमाणित कर प्रपत्र भरकर नीलामी हॉल में धरोहर राशि के अतिरिक्त 500/– रजिस्ट्रेशन राशि उसी दिन कार्यालय समय दोपहर 02:00 बजे से 03:00 बजे तक जमा करवाकर टोकन प्राप्त करना होगा।** बोलीदाता निलामी हॉल में 03:00 बजे तक आवश्यक रूप से उपस्थित होवें अन्यथा आपको अनुपस्थित मान कर आगामी कार्यवाही कर दी जावेगी। रजिस्ट्रेशन राशि 500/– रू. वापस देय नही होगी। बोलीदाता को पेनकार्ड की प्रति एवं स्वयं का पहचान पत्र नीलामी फार्म के साथ संलग्न करनी होगी तथा मोबाईल नम्बर देना होगा। मोबाईल का उपयोग बन्द रहेगा। **कई बार यह भी देखा गया है कि नीलामी के उपरान्त पत्र मे नाम परिवर्तन हेतु निवेदन किया जाता है, जो संभव नही होता है। अतः नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति द्वारा आवेदन फार्म की पूर्ति पूर्ण रूप से सोच–समझ कर करें। इसके बाद में परिवर्तन किया जाना सम्भव नही होगा।**

(2) एकल बोली स्वीकार /अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार नीलामी समिति को होगा।

(3) किसी संस्था/कम्पनी फर्म की ओर से बोली लगाने वाला अधिकृत होने का अधिकृत–पत्र पेशकरेगा जो नोटेरी द्वारा सत्यापित होगा। **संस्था/कम्पनी फर्म के विधान की सत्यापित प्रति पेश करनी होगी।**

(4) कम्पनी/संस्था द्वारा नीलामी में भाग लेने पर दूसरा व्यक्ति पदाधिकारी/कार्मिक ही होगा। किन्तु दो से अधिक व्यक्ति कम्पनी नही भेज सकेगी। पहला व्यक्ति अधिकृत व्यक्ति हो सकता है।

(5) प्रथम बोली रू 6500/– प्रति वर्ग मीटर से अधिक होगी तथा प्रत्येक बोली रू. 50/– प्रति वर्ग मीटर से कम नही होगी।

(6) सफल बोली दाताओं को कुल राशि का 25 प्रतिशत भाग मौके पर ही जमा करवाना होगा।

(7) बोली स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार अध्यक्ष नगर विकास न्यास, कोटा में सुरक्षित रहेगा तथा स्वीकृति के पश्चात निर्धारित समय में शेष राशि जमा करवानी होगी।

(8) भूखण्ड पर निर्माण से पूर्व नगर विकास न्यास, कोटा से निर्धारित मानदण्डों के अनुसार मानचित्र स्वीकृत करवाना होगा।

(9) भूखण्ड 99 वर्षीय पट्टेदारी पर राजस्थान नगर सुधार (नगरीय भूमि निस्तारण) नियम 1974 के अनुसार नीलाम किया जावेगा, जिसकी लीज राशि आरक्षित दर पर अलग से नियमानुसार जमा करवानी होगी।

(10) भूखण्ड जहां है, जिस अवस्था में है, के आधार पर नीलाम किया जावेगा।

(11) आरक्षित दर 6120/– प्रति वर्ग मीटर है।

(12) अन्य शर्तें कार्यालय में देखी जा सकती है।

The Photograph is indicative only.

तकनीकी मानदण्ड

(वर्तमान में लागू भवन विनियम– 2013 (संशोधित) के अनुसार)

सेट बैक :– भूखण्ड संख्या –3

फन्ट	:–	15.00 मीटर
बेक	:–	09.00 मीटर
साईड–1	:–	09.00 मीटर
साईड–2	:–	09.00 मीटर

- अधिकतम उंचाई :– भवन विनियम के बिन्दु सं. 8.11 के अनुसार
- एफ.ए.आर. :– 1.33 मानक एवं अधिकतम FAR 2.00
- राज्य सरकार की स्वीकृति से देय अतिरिक्त FAR= 2.0
- आच्छादित क्षेत्र :– 35 प्रतिशत
- अन्य मानदण्ड :– भवन विनियम 2013 (संशोधित) के अनुसार

भूखण्ड की विशेषताएँ

1. 48 मीटर चौड़ी सडक पर स्थित।
2. योजना आबादी क्षेत्र की समीप स्थित है।
3. योजना के आसपास अन्य शैक्षणिक संस्थान यथा विधाश्रम स्कूल, सिंघानियां स्कूल, मित्तल इन्टरनेशनल, पोलोटेक्निक महाविद्यालय इत्यादि स्थित है।
4. शैक्षणिक प्रयोजन की दृष्टि से उत्कृष्ट है।

अध्यक्ष
नगर विकास न्यास, कोटा

सचिव
नगर विकास न्यास, कोटा

Website:- WWW.UITKOTA.ORG Ph.No. :-0744-2500539 (श्री सागर मीणा कनिष्ठ अभि0 मो0नं0 9928160887)